पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

शोध केन्द्र की मान्यता हेतु निर्धारित प्रपत्र

1. महाविद्यालय अथवा संस्था का नाम : .....
.....
.....

2. स्थापना तिथि : .....

3. स्नातकोत्तर कक्षाओं का विवरण, यदि अध्यापन हो रहा है ? : .....
.....
.....

4. विषय जिसके लिए मान्यता चाही गई है : .....
.....

5. उक्त विषय में अध्ययनरत छात्रों की संख्या : .....

6. नियमित प्राध्यापकों/अधिकारियों का विवरण–महाविद्यालय में मान्य निर्देशकों की संख्या – विषयों सहित : .....
आचार्य + उपाचार्य + सहायक प्राध्यापक
कुल – .....

7. पुस्तकालय का विवरण : सूची संलग्न करें ।

8. संबंधित विषयों की पुस्तकों/शोधपत्रों इत्यादि की संख्या : .....

9. मान्यता हेतु रू. 5000/– की राशि पटाने का विवरण : .....

10 महाविद्यालय में कुल छात्रों/शिक्षकों की संख्या : .....

11 महाविद्यालय का स्वरूप :
.....
शासकीय + स्वशासी + निजी

12 महाविद्यालय, शासकीय अनुदान प्राप्त है या नही? : .....

13 अन्य जानकारी, यदि आवश्यक हो तो : .....
.....
.....

उपरोक्त विवरण के आधार पर मैं विषय ..... शोध केन्द्र की मान्यता हेतु आवेदन करता हूँ और यह आश्वासन देता हूँ कि यदि इस महाविद्यालय को आवेदित विषय में मान्यता प्राप्त हो जाती है तो शोध छात्रों को उचित सुविधा उपलब्ध कराई जावेगी, एवं अध्यादेश–45 की शर्तों का पालन किया जाएगा ।

प्रमाणित करता हूँ कि प्रपत्र में दी गई सम्पूर्ण जानकारी सही है ।

दिनांक .....

संलग्न सूचियों की संख्या .....

आवेदक .....
(संस्था प्रमुख)

प्राचार्य /
महाविद्यालय / संस्था .....

.....

यह विनियम विश्वविद्यालय द्वारा शोध केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने से संबंधित होगा । जिन महाविद्यालयों एवं संस्थाओं को शोध केन्द्र की मान्यता प्राप्त करनी हो, उन्हें निम्न शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा –

1. प्रत्येक महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा संस्था के प्रमुखों को निर्धारित प्रपत्र में शोध केन्द्र की मान्यता हेतु आवेदन करना होगा ।

2. आवेदन की कोई अंतिम तिथि नहीं होगी, वे कभी भी भेजे जा सकते हैं ।

3. आवेदन के साथ प्रत्येक विषय के लिए रू. 5000/– (रूपये तीन हजार मात्र) मान्यता शुल्क पटाना होगा ।

4. (1) केवल ऐसे महाविद्यालयों को ही शोध केन्द्र की मान्यता के लिए आवेदन करने की पात्रता होगी, जहाँ संबंधित विषय की स्नातकोत्तर अध्यापन व्यवस्था हो, एवं समुचित पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला उपलब्ध हो, जिसमें विषयों से संबंधित कम से कम 3 (तीन) मानक (स्टैंडर्ड) जर्नल्स नियमित रूप से आते हों, विज्ञान विषयों में शोध संबंधी उपकरणों का होना आवश्यक है । शोधकेन्द्र प्रमुख/प्राचार्यों को समस्त शोध छात्रों की उपस्थिति का विशेष ध्यान रखना होगा और हर छः माह में उसकी उपस्थिति को प्रमाणित कर विश्वविद्यालय को भेजना होगा ।

   (2) जो संस्थान या शोध केन्द्र राष्ट्रीय स्तर के हैं, उनकी मान्यता स्वयमेव मानी जावेगी । उन्हें अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी । शोध समिति की अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

5. अभियांत्रिक/चिकित्सा/आयुर्वेद एवं शिक्षा महाविद्यालय के लिए स्नातकोत्तर अध्यापन का बंधन लागू नहीं होगा ।

6. आवेदन प्राप्त होने पर उक्त महाविद्यालय/संस्था का निरीक्षण एक सक्षम समिति द्वारा कराया जाएगा । निरीक्षण का व्यय संबंधित महाविद्यालय/संस्था द्वारा वहन किया जाएगा ।

7. निरीक्षण समिति में निम्न सदस्य होंगे –

   (अ) संकायाध्यक्ष, ... (विषय से संबंधित)

   (ब) संबंधित विषय के अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष,

   (स) एक विशेषज्ञ, जो कम से कम विश्वविद्यालय/महाविद्यालय आचार्य के पद से कम न हो और जिसे कुलपति ने नामजद किया हो ।

8. उक्त त्रिसदस्यीय समिति द्वारा आवेदित शोध केन्द्र का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा।

9. समिति के प्रतिवेदन पर संबंधित शोध उपाधि समिति की अनुशंसा प्राप्त की जावेगी ।

10. शोध समिति की अनुशंसा के पश्चात मान्यता संबंधी प्रकरण पर कार्यपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा । यदि कार्यपरिषद मान्यता संबंधी अनुमोदन प्रदान कर देती है तो संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को शोधकेन्द्र की मान्यता प्रदान कर दी जावेगी ।

11. मान्यता प्राप्त शोध केन्द्रों को यह अधिकार होगा कि वे शोध छात्रों से पी–एच.डी. अध्यादेश में उल्लेखित अध्ययन एवं प्रायोगिक कार्य हेतु शुल्क वसूल कर सकते हैं ।

12. मान्यता प्राप्त सभी केन्द्रों को शोध छात्रों की आवश्यक शोध सुविधायें प्रदान करनी होगी ।

13. किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर शोध केन्द्र की जाँच कराई जा सकेगी और शिकायत सहीं पाये जाने पर उसकी मान्यता को रद्द किया जा सकेगा ।

14. प्रत्येक शोध केन्द्र का यह दायित्व होगा कि वह उसके यहाँ पंजीकृत छात्रों का विवरण प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये ।

15. पूर्व में शोधकेन्द्रों को विश्वविद्यालय ने मान्य कर लिया है, उन्हें भी इस विनियम के लागू होने की तिथि के पश्चात नये सिरे से आवेदन पर मान्यता प्राप्त करनी होगी ।

□ □ □ □ □